संख्या-7/2024/113ई-2/तेरह-2024-480290

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग2 **लखनऊ:दिनांक: 09 फरवरी, 2024**

विषय- मेसर्स इण्डिया ग्लाइकाल्स लि., आसवनी गीडा, गोरखपुर की पूर्व स्वीकृत क्षमता 300 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 990 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 1690 लाख लीटर किये जाने हेतु 350 कार्य दिवस के आधार पर 200 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का अतिरिक्त प्लांट अर्थात 700 लाख लीटर वार्षिक क्षमता का अतिरिक्त ग्रेन आधारित वाश से आर.एस./ एथनॉल प्लांट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-135/दो-प्रा.डी.-126/आई.जी.एल, दिनांक 29-01-2024 तथा प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 05-02-2024 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-103ई-2/तेरह-2024-480290, दिनांक 07-02-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 29-01-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स इण्डिया ग्लाइकाल्स लि., आसवनी, गीडा, गोरखपुर की पूर्व स्वीकृत क्षमता 300 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 990 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 1690 लाख लीटर किये जाने हेतु 350 कार्य दिवस के आधार पर 200 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का अतिरिक्त प्लांट (110 कि.ली. प्रतिदिन वाश से एथनॉल/ आर.एस. एवं 90 कि.ली. प्रतिदिन वाश से आर.एस.) अर्थात 700 लाख लीटर वार्षिक क्षमता का अतिरिक्त ग्रेन आधारित वाश से आर.एस./एथनॉल प्लांट, जिसके अन्तर्गत रेक्टिफाइड स्प्रिट एवं अब्सोल्यूट अल्कोहल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा उत्पादन करते समय निम्नलिखित शर्तों का भी अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:-

(क) इकाई द्वारा शासनादेश संख्या-33/2021-810 ई-2/तेरह-2021-107/2013, दिनांक 26.03.2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा ।

(ख) इकाई द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ग) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4) (छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा

(घ) आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आसवनी बढ़ी हुयी क्षमता पर उत्पादन करने से पूर्व विभिन्न तरह के अल्कोहल संचय किये जाने हेतु आवश्यक रिसीवर एवं संचय टैंक स्थापित कर लिया जाए।

(ड.) इकाई द्वारा उत्पादन करते समय गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(च) आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आसवनी पर अद्यतन कोई सरकारी राजस्व बकाया न हो।

(छ) इकाई में स्थापित कि ये जा रहे एथनाल संचय टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर, जो आबकारी विभाग के पोर्टल से इन्टीग्रेट होगा, लगाया जाना अनिवार्य होगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

संख्या:7/2024/113ई-2/तेरह-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in